श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मुंगेर सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2013 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय वेश्म में सम्पन्न जिला सुरक्षा समिति के बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति -

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री नवीन चन्द्र झा, पुलिस आधीक्षक, मुंगेर।

उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आज निर्धारित बैठक की सूचना इस कार्यालय के ज्ञापांक 806/गो०, दिनांक 27.05.2013 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए जाने के बावजूद श्री उमाकान्त राम, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर न तो स्वयं उपस्थित हुए हैं और न ही बैठक में भाग लेने हेतु किन्हीं पदाधिकारी को प्राधिकृत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचना दी गई है। इनका यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, अतः श्री उमाकान्त राम, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण कार्यवाही प्रति प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

तत्पश्चात् सर्वसम्मति से जिला सुरक्षा समिति की बैठक में परिचारी प्रवर, नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को निम्न निदेश दिए गए :-

1. जिला सुरक्षा समिति की पूर्व बैठकों में निर्णित निर्णय के आलोक में वैसे व्यक्तियों, जिन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया था तथा उनके द्वारा पूर्व के बकाए राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, वैसे व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए वापस लिया जाए। साथ ही उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए बकाए भुगतेय राशि की वसूली की कार्रवाई की जाए।
2. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर के ज्ञापांक 231/गो०, दिनांक 30.04.13 द्वारा उनके आवास पर प्रतिनियुक्त 1-3 सैप बल की संख्या में बढ़ोतरी हेतु दिए गए अनुरोध पत्र पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यद्यपि खड़गपुर अनुमंडल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तथापि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके आवास पर 1-5 सैप बल की प्रतिनियुक्ति की जाए।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अंगरक्षक प्रदान करने की पृच्छा के संबंध में निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रतिनियुक्त होने वाले अंगरक्षक एवं उसके पास उपलब्ध शस्त्र/हथियार की सुरक्षा सर्वोपरि है। अतः सर्वप्रथम उनके आवासन हेतु गार्ड रूम की सुदृढ़ व्यवस्था होने के उपरान्त ही अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर जिला सुरक्षा समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।
4. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 33, दिनांक 12.02.2013 पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 02 (दो) लाठी गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाए।

परिचारी प्रवर, नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर द्वारा कई आवेदकों का नाम बताया गया जिन्होंने अपने लिए अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया है। निदेश दिया गया कि उसकी सूची तैयार कर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर से जांच करा लिया जाए ताकि जिला सुरक्षा समिति की आगामी बैठक में उन आवेदनों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सके।

विदित हो कि जिला सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से महानुभावों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में भुगतान के आधार पर 06 (छह) माह के लिए अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाती है तथा निर्धारित अवधि समाप्ति के उपरान्त आगामी सुरक्षा समिति की बैठक में विचारोपरान्त निर्णित निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किये जाने का प्रावधान है, जिसके कारण कई महानुभावों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक को वापस ले लिया गया है। तदालोक उनके द्वारा पुनश्च अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है जिसपर क्रमवार विचार करते हुए निम्न निर्णय लिए गए :-

1. **मनोज कुमार सोनी** :- पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुगेर के ज्ञापांक 480/गो0, दिनांक 02.05.2013 के साथ संलग्न श्री मनोज कुमार सोनी उर्फ मंटू सोनी, आर0 ज्वेलर्स, गुरुद्वारा चौक, केशोपुर, जमालपुर के संलग्न अभ्यावेदन पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व में उनके साथ भुगतान के आधार पर प्रतिनियुक्त अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए वापस लिया जाए तथा पूर्व के लंबित भुगतेय राशि जमा करने का निदेश दिया जाए।

1. **जिला अभियोजन पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर** :- निर्णय लिया गया कि जिला अभियोजन पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर को पूर्व में उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक की अवधि विस्तारित करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति यथावत् रखी जाए।

2. **गौतम कुमार** :- पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर के ज्ञापांक 163/सा0शा0, दिनांक 01.02.2013 के साथ संलग्न श्री गौतम कुमार, पिता-श्री धनश्याम प्रसाद यादव, ग्राम-बांक, थाना-मुफसिल, जिला-मुंगेर के संलग्न आवेदन पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर Threat Peruption का वास्तविक आंकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् सुरक्षा के दृष्टिगत् उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

3. **गणेश पासवान** :- अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता, विरोधी दल, बिहार विधान सभा ने पत्रांक 278 का0/13, दिनांक 25.04.2013 के साथ श्री गणेश पासवान, पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा, सुल्तानगंज विधान सभा क्षेत्र-153, भागलपुर का आवेदन संलग्न कर अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर

समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जिसपर विचार करते हुए पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Perception का वास्तविक आंकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् सुरक्षा के दृष्टिगत् उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

4. **श्री जयप्रकाश नारायण यादव, भूतपूर्व सांसद :-** श्री बिजेन्द्र झा, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक 5540 460/मु0मं0स0, दिनांक 01.03.2013 के साथ संलग्न श्री जयप्रकाश नारायण यादव, भूतपूर्व सांसद, लोकसभा का पत्र पत्रांक 10, दिनांक 25.02.2013, जो पुलिस उप-महानिरीक्षक (मानवाधिकार), बिहार, पटना के ज्ञापांक 1495/एल-2, 52-14-12-08, दिनांक 22.05.2013 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को प्राप्त हुआ है, के अवलोकनोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि संदर्भित पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Peroption का वास्तविक आंकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। तत्पश्चात् सुरक्षा के दृष्टिगत् उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

5. **डॉ0 हरिओम प्रसाद :-** डॉ0 हरिओम प्रसाद, ग्राम+पो0-लोहची, थाना-ह0 खड़गपुर, जिला-मुंगेर ने वापस लिए गए अंगरक्षक की पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक 29.04.2013 को समर्पित अपने अनुरोध पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 04.03.2012 को उनके पिता डॉ0 मुरलीधर जायसवाल की दिन-दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी तत्पश्चात् दर्ज खड़गपुर थाना काण्ड संख्या 44/12 (सेशन केश नं0-556/12) में उन्हें निर्भीक गवाही देने हेतु अगली तारीख एवं पूरे केस के निष्पादन तक अंगरक्षक प्रदान किया जाए। उनके अभ्यावेदन के अवलोकन के पश्चात् थाना प्रभारी, ह0 खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि आवेदक को धमकी दिए जाने के मामले में समुचित आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही आवेदक को निदेशित किया जाए कि सेशन केस नं0-556/12 में सुनवाई की तिथि से थानाध्यक्ष को अवगत करायें ताकि थाना प्रभारी द्वारा यथासमय उचित कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि संदर्भित पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Peruption का वास्तविक आंकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

6. **श्री गोपाल कृष्ण वर्मा, तारापुर :-** श्री गोपाल कृष्ण वर्मा, तारापुर, मुंगेर द्वारा अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त निर्णय

लिया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर संदर्भित अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में Threat Peruption का वास्तविक आंकलन करते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात् सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके साथ अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

7. **श्री अरूण कुमार, लोक अभियोजक, मुंगेर :-** लोक अभियोजक, मुंगेर के पत्रांक 31, दिनांक 07.05.2013 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में उनके साथ 01(एक) अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर ने अपने पत्रांक 755, दिनांक 31.05.2013 से सूचित किया है कि मंडल कारा, मुंगेर में कारा कार्य हेतु वर्तमान में 39 गृहरक्षक बल कार्यरत् हैं तथा संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक 2580, दिनांक 16.05.13 द्वारा गृहरक्षक बलों की स्वीकृत संख्या 20 कर दी गई है, जिसके उपरान्त गृहरक्षकों की कमी की वजह से कारा का सामान्य सुरक्षा कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत् निर्णय लिया गया कि महानिरीक्षक, कारा को विस्तारपूर्वक इस आशय से अवगत कराते हुए मार्गदर्शन की मांग की जाए तथा मार्गदर्शन प्राप्त होने तक मुंगेर कारा में संसीमित सी0सी0एक्ट एवं हार्डकोर नक्सली बंदी पर कठोर निगरानी रखने हेतु वर्तमान में कार्यरत् 39 गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति यथावत् रखी जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

पुलिस अधीक्षक,
मुंगेर।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 900 /गो0, दिनांक 05/06/2013

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर/परिचारी प्रवर नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 900 /गो0, दिनांक 05/06/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।